

कार्यालय अंचल अधिकारी, गोमिया (बोकारो)

अभिलेख सं०

विषय 20/2021-22

केश का प्रकार :-

वंशावली सत्यापन हेतु प्रस्ताव।

अंचल का नाम :-

गोमिया

जिला - बोकारो

अदर की क्रम
सं० और तारीख

आदेश फलक

2

आदेश पर की
गई कार्यवाही
की गयी है
दिप्ली तारीख
की साथ

17/08/21

आवेदक-जन्मत अंसारी, पिता-स्व० तजमुल मियाँ, मौजा-पो०-साइम (चटनिर्योबाग), थाना-गोमिया, बोकारो द्वारा प्राप्त आवेदन मौजा-साइम अन्तर्गत खाता सं०-921, प्लॉट सं०-891, 921, 1823, 1827, 5953, कुल रकबा-0.69ए० भूमि के खतियानी वंशावली सत्यापन हेतु अभ्यावेदन प्राप्त है। उक्त आवेदन में प्रतियेदित है कि मौजा-साइम अन्तर्गत खाता सं०-921, प्लॉट सं०-891, 921, 1823, 1827, 5953, कुल रकबा-0.69ए० भूमि, जोगन जोल्हा के नाम से खतियान में दर्ज है। मैं जोगना जोल्हा के वंशज से आता हूँ। आवेदक द्वारा वंशावली सत्यापन करने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन जौंच हेतु राजस्व उप निरीक्षक-सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक को दें एवं वंशावली सत्यापन हेतु ग्राम सभा आयोजन करने हेतु सूचना निर्गत करें।

तत्पश्चात् अभिलेख दिनांक- 17 / 08 / 2022 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी
गोमिया।

अभिलेख उपस्थापित।

17/08/21

07/08/22

राजस्व उप निरीक्षक -सह- प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा जौंच प्रतिवेदन प्राप्त है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा वंशावली सत्यापन हेतु निर्गत नोटिस के आलोक में ग्राम सभा का आयोजन दिनांक-20.01.2022 को श्रीमति रहमतु निशा, प्रधान कार्यकारी समिति, पंचायत-साइम पूर्वी की अध्यक्षता में ग्राम सभा किया गया। उक्त ग्राम सभा में किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। वर्तमान समय में दोनों पक्षों का भूमि बिक्री हो गया है। दोनों पक्ष मौजा-साइम में नहीं रहते हैं। जन्मत अंसारी, ग्राम-कुर्कनालो(टोला-बाराटौड़, पंचायत-करीखुर्द, थाना-चतरोचट्टी, जिला-बोकारो एवं सबीजान खातुन, ग्राम-कथारा(नम्बर-02), पो०-कथारा, थाना-गोमिया, जिला-बोकारो में रहती है। जन्मत अंसारी द्वारा तजमूल मियाँ के नाम से वंशावली बनाने की माँग की जा रही है, जबकि सुबेजान खातुन द्वारा शकुर मियाँ के नाम से वंशावली निर्गत करने हेतु माँग की जा रही है। आयोजित ग्राम सभा में वंशावली निर्गत करने हेतु प्रधान कार्यकारी समिति द्वारा भी किसी प्रकार की अनुशंसा प्राप्त नहीं है।

अतः उभय पक्षों को वंशावली निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों में उत्पन्न विरोधाभास एवं बिना गुण-दोष के आधार पर संबंधित आवेदन को खारिज किया जाता है।

(लेखापित)


अंचल अधिकारी,
गोमिया।


अंचल अधिकारी
गोमिया।